पत्र 59

अंचल अधिकारी तोपचांची का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 59 (IX) 16-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– रघुरडीह, थाना– 176 ..., रकबा– 2.50 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, खाता संख्या– 71, प्लॉट संख्या– ..., जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 01, के पृष्ठ संख्या– 118, पर जमाबंदी रैयत बिहार, सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 15.10.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

30.8.16

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

Scanned with CamScanner

07/8/20

अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में.....मुनीबाला देवी......द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष........—..........तक भुगतान किया गया है।

मौजा-.....बघुनडीह............थाना नं०..176....खाता नं०...71......

प्लाट नं०.......... रकवा...02 डी..कुल.......02 डी.

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है:-

1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोवस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात ~~नहीं~~ होने से इंकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अत: मौजा-.....रघुनडीह............थाना नं०..176....खाता नं०....71.....
प्लाट नं०.......... रकवा....02 डी...कुल.................धूर, कुल.....02 डी.........धूर,भूमि जो प्रतिवादी.....चन्दीप राम.... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदानुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
07/8/20
अंचल अधिकारी
तोपचॉची।

07/8/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

विषय- वाद अभिलेख सं0 50 (1 v) 2016-17 के संबंध में।

महाशय,

सादर कहना है कि मैं सुनी बाला देवी पति - हाकिम राय ग्राम- कुलहि, थाना-तोपचाँची, जिला-धनबाद की निवासी हूँ।

Put up in file
07/3/20

मौजा- कुलहि, थाना नं0 176, खाता नं0 7। प्लॉट नं0 ..

रकबा 2 डी. भूमि से संबंधित कोई कागजात जमा नहीं कर पा रही हूँ। जमीन पर जोत दखल है।

आपका विश्वासी,
सुनीबाला देवी
(सुनी बाला देवी)

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 59 (IX) / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

चन्द्रदीप राम

पिता – मुकुन्द राम

ग्राम – खुरडीह पों0

थाना – जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा खुरडीह थाना नं0 176 खाता नं0 71 प्लॉट नं0 के पंजी II रकवा 2.50 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 IX के पंजी II भाग 1 के पृष्ठ 118 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 15.10.2016 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहरताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

30.8.16

तिथि :–

स्थान :– तोपचाँची

मुहर

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– चन्द्रदीप राम पिता मुकुन्द राम
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
खुरशीद	176	71	—	2 एक

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या......1....... पृष्ठ सं0–...118... पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 1970-70
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– बिहार सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :–
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – मल दखल अभिलेख बं0 – 34/64-65
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1st. 01.	458755	21.7.71	
Last	366563	23-12-96	1996-97 तक

Md A Ans
2

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 59(IX) / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

चन्द्रदीप राम

पिता – मुकुन्द राम

ग्राम – खुरडीह पों0

थाना – जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा खुरडीह थाना नं0 176 खाता नं0 71 प्लॉट नं0 रकवा २ डी० एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 IX के पंजी II भाग 1 के पृष्ठ 118 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 15.10.2016 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

O/C

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :–

स्थान :– तोपचाँची

मुहर

अंचल अधिकारी

तोपचँची

30.8.16

चन्द्रदीप राम के बेटा का नाम
रोहित कुमार राय

[illegible] 13/10/16